O/o E.D. (EITC)
CSPDCL Raipur
Receipt No. 701
Date 23 MAY 2023
AGM (IT)
SE (O)/SE
EE
Section

701
23 MAY 2023

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)
सी.आई.एनः– U40108CT2003SGC015820
कार्या :– मुख्य अभियंता (मा0सं0)

क्रमांक :– 01–01 / अ.प्र.क. / 03 / 2023 / 2681 — रायपुर, दिनांक 22 MAY 2023

(अपील प्रकरण कमांक 03 / 2023)

श्री कृपाराम सक्सेना — अपीलार्थी
चांपा

विरूद्ध

श्री पंकज सिंह परमार — उत्तरवादी
जनसूचना अधिकारी

–:: आदेश ::–
(दिनांक 22/05/2023 को पारित)

अपीलार्थी श्री कृपाराम सक्सेना द्वारा समयावधि के बाद भी कोई सूचना पत्र नहीं मिला है का लेख करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत जनसूचना अधिकारी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है।

(2) – प्रकरण से संबंधित तथ्य सारणीबद्ध रूप में निम्नानुसार है :–

(I)	सूचनाधिकार के अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी / दस्तावेज ।	श्री कृपाराम सक्सेना द्वारा आवेदन कमांक पी / 100 दिनांक 10.02.2023 के माध्यम से 04 बिन्दुओं में निम्नलिखित जानकारी चाही गई है :– (अ) राज्य अथवा केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया उस नियम कानून की सत्यापित छायाप्रति प्रदान कराने निवेदन है जिसके आधार पर विद्युत विभाग ने यह नियम जारी किया है कि जो अधिकारी / कर्मचारी जिस पद का क्रमोन्नति (हायर पे) लिया है उसे उस पद पर प्रमोशन ना लेने पर दिया गया हायर पे वापस लिया जाएगा। या मूल पद पर वापस किया जायेगा। (ब) राज्य अथवा केंन्द्र सरकार के उस कानून की जानकारी प्रदान कराने निवेदन है जो विद्युत विभाग को सरकार के नीतियों (कानून) के विरूद्ध नियम बनाने का अधिकार देता है। (स) वह क्रमोन्नति नियम आदेश जो विद्युत सेवकों को प्रमोशन का अधिकार नहीं देता है वह नीति / नियम आदेश प्रमोशन लेने बाध्य कैसे कर सकता है से संबंधित जो भी कानून है की जानकारी दिलाए। (द) वरिष्ठ सूची के विरूद्ध प्रस्तुत अभ्यावेदन का निराकरण प्रमोशन आदेश जारी दिनांक से पूर्व किया जाता है या प्रमोशन के बाद किया जाता है से संबंधित जो भी नियम है कि छायाप्रति दिलाए।
(II)	जनसूचना अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी की अपील व कारण :–	मूल आवेदन कमांक 100 दिनांक 10.02.2023 में एक विषय पर 04 बिन्दुओं में जानकारी चाही गयी है। समयावधि के बाद भी कोई सूचना पत्र नहीं मिला है। अतएव धारा 20 (1)(2) 19 (8) ख 7 (6) के अंतर्गत निष्पक्ष न्याय हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

(iii)	अपील की सुनवाई तिथि	निर्धारित तिथि	कार्यवाही विवरण :–
		12.04..2023	निर्धारित तिथि के संबंध में अपीलार्थी को दूरभाष के माध्यम से सूचित किया गया। उक्त तिथि को जनसूचना अधिकारी उपस्थित एवं अपीलार्थी अनुपस्थित रहें। अतएव प्रकरण में सुनवाई की कार्यवाही नहीं की जा सकी।
		01.05.2023	अपीलार्थी को नियत तिथि के संबंध में दूरभाष के माध्यम से सूचित किया गया। अधोहस्ताक्षकर्ता द्वारा जनसूचना अधिकारी एवं अपीलार्थी को अपील सुनवाई में उपस्थित होने बाबत् बुलावा भेजा गया। निज सहायक द्वारा अपीलार्थी से निवेदन किया गया कि अपील सुनवाई कक्ष में प्रवेश करने के पूर्व वह अपना मोबाइल बंद करके उपस्थित होवें। किये गये निवेदन से कोधित होकर अपीलार्थी सुनवाई कक्ष में उपस्थित हुए बगैर ही कार्यालय से बाहर चले गए। अतः अपीलार्थी के कृत कार्य से यह सिद्ध होता है कि वह अपील सुनवाई के सभी तर्क/कथन को अपने मोबाइल में रिकार्ड करना चाहता था। अपीलार्थी द्वारा किया गया व्यवहार अशोभनीय है। सुनवाई में जनसूचना अधिकारी उपस्थित हुए। अतः अपील में गुण–दोष के आधार पर एकपक्षीय सुनवाई की कार्यवाही की गई।
(iv)	सूचनाधिकार के अंतर्गत जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रकरण में की गयी कार्यवाही तथा तर्क /कथन :–		अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दुवार जानकारी के संबंध में धारा 5(5) के अनुसार संबंधित प्रभाग के **DPIO** उप महाप्रबंधक (मा.सं.)–तीन से सहायता ली गई। **DPIO** द्वारा जानकारी कुल 26 छायापृष्ठों में उपलब्ध करायी गई। अतएव निर्धारित समयावधि के भीतर अपीलार्थी को उनके द्वारा दिये गये पते पर धारा 7(1) के प्रावधानुसार पत्र क्रमांक 1317 दिनांक 10.03.2023 के द्वारा स्पीड पोस्ट के माध्यम से अवगत कराया गया है कि वांछित बिन्दुवार जानकारी कुल 26 छाया पृष्ठों में उपलब्ध है। अतः धारा 7(1) के अंतर्गत रूपये 2/–प्रति पृष्ठ की दर से कुल रूपये 52/–मात्र का अभिलेख शुल्क का भुगतान कर दस्तावेज प्राप्त कर सकते है। उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी द्वारा धारा 7(1) के अंतर्गत निर्धारित अभिलेख शुल्क रूपये 52/–मात्र का भुगतान इस कार्यालय में नहीं किया गया है। अतः उन्हे प्रावधानुसार जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गई है। अतएव अपीलार्थी का अपील कथन कि समयावधि के बाद भी कोई सूचना पत्र नहीं मिला है। अतएव धारा 20 (1)(2) 19 (8) ख 7 (6) के अंतर्गत निष्पक्ष न्याय हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है, जो तर्कहीन है। लेख है कि अपीलार्थी का आवेदन दिनांक 10.02.2023 इस कार्यालय में दिनांक 14.02.2023 को प्राप्त हुआ है अतएव सूचनाधिकार के प्रावधानुसार अपीलार्थी को

			सूचना उपलब्ध कराने की अंतिम तिथि 15.03.2023 निर्धारित होगी। वस्तुतः निर्धारित तिथि के पूर्व ही दिनांक 10.03.2023 को अपीलार्थी को धारा 7(1) के अंतर्गत अभिलेख शुल्क का भुगतान करने हेतु सूचित किया गया है। अतः अपीलार्थी का अपील तर्क स्वीकार योग्य नहीं है।

(3) – प्रकरण में आये तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि सूचनाधिकार के अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा तालिका 01 में वांछित बिन्दुवार जानकारी के संबंध में जनसूचना अधिकारी द्वारा तालिका (IV) में जो कार्यवाही व तर्क दिया गया है वह विधिसंगत है। जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि के भीतर धारा 7(1) के प्रावधानुसार कुल 26 पृष्ठों की जानकारी के संबंध में अभिलेख शुल्क रूपये 52/–मात्र का भुगतान करने बाबत् उनके द्वारा दिये गये पते पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से सूचित किया गया है। अतएव अपीलार्थी का अपील कथन कि समयावधि के बाद भी कोई सूचना पत्र नहीं मिला है। अतएव धारा 20 (1)(2) 19 (8) ख 7 (6) के अंतर्गत निष्पक्ष न्याय हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है, पूर्णतः भ्रामक व तर्कहीन है जो स्वीकार्य योग्य नहीं है।

उल्लेखित तालिका (IV) के दृष्टिगत जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रकरण में की गई कार्यवाही विधि संगत है जो स्वीकार्य है। अतः अपीलार्थी श्री सक्सेना को निर्देशित किया जाता है कि वे चाही गई बिन्दुवार जानकारी/दस्तावेज जो कुल 26 छाया पृष्ठों में जनसूचना अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध है, धारा 7(1) के प्रावधानुसार निर्धारित अभिलेख शुल्क रूपये 52/–मात्र का भुगतान कर, जानकारी प्राप्त कर सकते है। उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही किया जाना शेष नहीं है। तदनुसार दर्ज अपील प्रकरण कमांक 03/2023 दिनांक 16.03.2023 एतद् द्वारा नस्तीबद्ध किया जाता है।

22/5/23

(अशोक कुमार वर्मा)
अपीलीय अधिकारी
सह मुख्य अभियंता (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक– 0771–2574700

क्रमांक :– 01–01/अ.प्र.क./03/2023/2682 रायपुर, दिनांक 22 MAY 2023

प्रतिलिपि :–(1) जनसूचना अधिकारी सह उप महाप्रबंधक (मा0सं0)–दो, छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर।

(2) श्री कृपाराम सक्सेना, जगदल्ला चांपा, जिला –जांजगीर–चांपा (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित।

(3) कार्यपालक निदेशक (EITC) छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर –उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छ0 ग0 सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पता :– सचिव, छ0 ग0 राज्य सूचना आयोग, अटल नगर, नवा रायपुर

22/5/23

(अशोक कुमार वर्मा)
अपीलीय अधिकारी
सह मुख्य अभियंता (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक– 0771–2574700